

18/12/18 - पत्रावली आज पेश हुई। वकील पदनाथ
 डी. पी. ए. रागकर्मा से वपल हो पत्रा
 दि 5/3/19 को पेश हो

5/7/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकील पदनाथ
 वल्लभ प्रामना - पत्र सुनी गई। पार्थी का पार्थना-
 पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया
 जाता है कि अज्ञातों का प्रामना पत्र की
 परत सं. 2 में वर्जिल द्वारा ही में ता-
 फ़ैसलावाद किली प्रकार रहने बेशक-कुड़
 नहीं करें। वापस रिपोर्ट कि स्थिति अभाव
 बनाये रखें। न ही अपने नो करें, एजेंटा के
 करार न रखें। पत्रावली फ़ैसलावाद
 होकर वाद संलग्न साथ ही जावे।